न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–166/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959)

रघुवीर सिंह पुत्र जैतसिंह दत्तक पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोरखेडा थाना बौली जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 24.7.2018

उपस्थितिः–

1. श्री श्रीदास सिंह वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य

दिनांकः 30.01.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट को उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1/एमएल/सब/एसडब्लूएम/1996 दिनांक 11.8.1966 पर एक टोपीदार गन नम्बर 601 जारी किया हुआ है। जो जिला कलक्टर कार्यालय में नम्बर 14/आरएन/एसडब्लूएम/1991 पर दर्ज किया जाकर नवीनीकरण किया जा रहा है। जिसे तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमधोपुर द्वारा आदेश क्रमांक प.21(1) शस्त्र/न्याय/2018/6435 दिनांक 24.7.2018 से निलम्बित किया जाकर अनुज्ञापत्रधारी/अपीलान्ट को निर्देशित किया गया है कि वह अनुज्ञापत्र में अंकित शस्त्र संख्या टोपीदार गन नम्बर 601 को पुलिस थाना बौली में जमा करवायें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट के पास एक टोपीदार बन्दुक है जिसका लाईसेंस नम्बर 1/एमएल/ सब/ एसडब्लू /1966 है। जिसका अपीलान्ट नियमानुसार नवीनीकरण करवाता चला आ रहा है। अपीलान्ट ने समयावधि में अपने लाईसेन्स का नवीनीकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहत अदालत के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष प्रस्तुत कर दिया था तथा वांछित शुल्क भी जमा करा दी थी इसके बाबजूद भी तहत अदालत ने मात्र जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की रिपोर्ट क्रमांक 5631 दिनांक 12.6.2018 को आधार बनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया है। दौराने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका भी नहीं दिया गया यह आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध चल रहे जिन कथित मुकदमा के संबध में न्यायालय का नाम मुकदमा नम्बर केस का उनवान आदि कोई जानकारी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है सिर्फ कयासों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह आदेश पारित किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट एक सामाजिक व्यक्ति है तथा अपीलान्ट की कभी भी किसी से कोई मारपीट अथवा झगडा भी नहीं हुआ है । अपीलान्ट ने अपनी बन्दुक का भी कभी कोई दुरूपयोग नहीं किया है तथा लाईसेंन्स की शर्तों का भी कभी कोई उल्लघंन नहीं किया है। तहत अदालत ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 24.7.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने के आदेश पारित करें।

सहायक लोक अभयोजक द्वारा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.7.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर एवं बाद परीक्षण ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह सही है कि अपीलान्ट को उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1/ एमएल /सब/ एसडब्लूएम /1996 दिनांक 11.8.1966 पर एक टोपीदार गन नम्बर 601 जारी किया हुआ है। जो जिला कलक्टर कार्यालय में नम्बर 14/आरएन/एसडब्लूएम/1991 पर दर्ज किया जाकर नवीनीकरण किया जा रहा है। किन्तु वर्तमान में दौराने नवीनीकरण कार्यवाही जब जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गई जो दौराने नवीनीकरण कार्यवाही वेहद आवश्यक है। जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की रिपोर्ट क्रमांक समर/जिविशा/शस्त्र नवीनीकरण/ 18/5631 दिनांक 12.6.2018 में क्रम संख्या 7 पर अपीलान्ट रघुवीरसिंह के संदर्भ में स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की है कि .....'' श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री जेनसिंह निवासी बोरखेडा पुलिस थाना बौली के विरूद्ध मुकदमाा नम्बर 270/2015 धारा 341,323,34 भारतीय दण्ड संहिता में चार्जशीट नम्बर 146 दिनांक 14.8.2015 को पेश न्यायालय की गई जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है''..... साथ ही रिपोर्ट के अंतिम पैरा में इनका शस्त्र नवीनीकरण न किये जाने के संदर्भ में स्पष्ट अंकित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जिले की शान्ती व्यवस्था कायम रखने हेतु एक जिम्मेदारी अधिकारी है जिनकी रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। अपीलान्ट के विरूद्ध विचाराधीन फौजदारी मुकदमा एवं शान्ती व्यवस्था को बनाये रखने के मध्यनजर आयुध अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा पारित किया गया अपीलधीन आदेश दिनांक 24.7.2018 कानून के दायरे में रह कर ही पारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया आदेश है जो पूर्ण रूपेण न्याय संगत है जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत न्यायिक प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरान्त ही पारित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 12.6.2018 में अपीलान्ट के विरूद्ध विचाराधीन फौजदारी मुकदमें का स्पष्ट उल्लेख करते हुये शस्त्र नवीनीकरण न किये जाने के संदर्भ में स्पष्ट अंकित किया गया है। हमारे ख्याल से एक अनुज्ञाधारी शस्त्रधारक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जानमाल की सुरक्षा के साथ–साथ वक्त आने पर समाज, देश एवं राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये भी तत्पर रहेगा तथा अन्य लोगों को भयभीत करने या कोई भी गैर कानूनी कार्य करने में प्रयुक्त नहीं होगा। किन्तु यहां जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ने अवगत कराया है कि शस्त्र धारक के विरूद्ध द्वारा धारा 341,323,34 भारतीय दण्ड संहित के तहत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस संदर्भ में गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.1 (13) गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 में बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5,2,4) में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्रधारी के आचरण बाबत सन्तुष्टि की जाकर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करेगा । अनुज्ञापन अधिकारी को यह निश्चित करने हेतु कि किसको अनुज्ञप्ति दी जाये अथवा किसको न दी जाये, विवेक शक्ति प्राप्त है। आयुधों का अनुज्ञप्तिकरण लोकहित में किया जाता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि अनुज्ञप्ति देने से इन्कार उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहे जो संगीन अपराध के दोषी हो। इस प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक जो जिले की शान्ती व्यवस्था कायम रखने हेतु एक जिम्मेदारी अधिकारी है की रिपोर्ट को बखूबी दृष्टीगत रखते हुये नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं रहती है और निलम्बन किये गये अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 24.7.2018 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर